न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

पीठासीन अधिकारी–मनोज कुमार(आर0ए0एस0)

अपील संख्या– 2022/47

प्रभू पुत्र रामदेव जाति मोग्या निवासी बंजारी बावडी पोस्ट रजलावता तहसील नैनवां जिला बून्दी।

– अपीलांट

बनाम

1. शंकर लाल पुत्र रामरतन जाति धाकड़ निवासी लालगंज तहसील नैनवां जिला बून्दी।
2. लक्ष्मण पुत्र रामरतन जाति धाकड़ निवासी लालगंज तहसील नैनवां जिला बून्दी।
3. भूमिधारी तहसीलदार नैनवां, तहसील नैनवां जिला बून्दी(राज0)।
4. बैंक ऑफ बडौदा शाखा नैनवां जर्ये प्रबंधक

–रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहस–(1). हेमेन्द्र सिंह आसावत– अधिवक्ता अपीलांट
(2). ललित नागर– अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट 1 व 2

निर्णय **दिनांक 23.06.2023**

1. अपीलांट द्वारा उक्त अपील अतंर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवां जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 146/2018 मे पारित अंतिम निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.08.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 व 2 ने वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम बडीपडाप तहसील नैनवां जिला बून्दी की कृषि भूमि खसरा संख्या 1300/986 रकबा 4 बीघा व खसरा संख्या 1315/996 रकबा 4 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 8 बीघा भूमि स्थित है। उक्त वर्णित सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात मे वादी

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का 5/8 हिस्सा, वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का 1/8 हिस्सा तथा शेष 2/8 प्रतिवादी संख्या 1 अपीलांट का दर्ज रिकॉर्ड है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 अपीलांट अपने-अपने हिस्से की भूमि पर सहमति से हुए बाहमी विभाजन के अनुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 से विवादित भूमि का विभाजन करवाकर पृथक-पृथक राजस्व खाता कायम किये जाने बाबत कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 ने विभाजन से इंकार कर दिया। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य भूमि के बंटवारे एवं लगान की राशि को लेकर विवाद होता रहता है ऐसी सूरत मे भूमियों का वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से के मुताबिक विभाजन किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है। अन्त मे उक्त वर्णित सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात का वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के अपने-अपने हिस्से अनुसार मौके पर कब्जे को ध्यान मे रखते हुए विभाजन किये जाने का निवेदन किया। साथ ही पृथक-पृथक खाता कायम किये जाने का निवेदन किया तथा प्रतिवादी संख्या 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया कि वे विवादित भूमि मे वादीगण के सहखातेदारी हक अधिकार आधिपत्य की कृषि भूमि से जबरन अवैध अनाधिकृत रूप से वादीगण को बेदखल नहीं करे। वादीगण के कब्जे काश्त मे अनुचित हस्तक्षेप नहीं करे। भूमि का विभाजन हुए बिना भूमि को किसी अजनबी क्रेता को हस्तांतरित नहीं करे तथा खुर्द-बुर्द नहीं करे।

3. उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण को बावजूद सूचना अनुपस्थित होना बताकर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश प्रदान किये गये। पत्रावली मे वादी की एकपक्षीय साक्ष्य ली गई। दिनांक 18.11.2019 को अधिवक्ता वादीगण की एकपक्षीय बहस सुनी जाकर उक्त वर्णित सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात के विभाजन की प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की गई। दिनांक 03.08.2021 को विवादित आराजीयात के विभाजन की अन्तिम निर्णय व डिक्री पारित की।

4. अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 03.08.2021 से असंतुष्ट होकर अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रथम अपील इस न्यायालय मे मियाद बाहर प्रस्तुत की है। अपील के साथ प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम प्रस्तुत किया गया। मियाद के बिन्दु पर निर्णय को सुरक्षित रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 2 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्टगण संख्या 3 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए।

रेस्पोडेन्ट संख्या 4 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की।

5. अधिवक्ता अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम 1963 मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर अपील मे हुई देरी को क्षम्य किये जाने व अपील अंदर मियाद शुमार किये जाने का निवेदन किया है। हमने प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया। न्यायहित मे अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम 1963 मय शपथ–पत्र स्वीकार किया जाकर अपील मे हुई देरी को क्षम्य किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

6. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलांटगण ने अपील मेमो मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री जैर अपील न्याय एवं संचिका से सिद्धि प्राप्त तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने ग्राम बडी पडाप तहसील नैनवां जिला बून्दी की कृषि आराजी खसरा नम्बर 1300/986 रकबा 3 बीघा व खसरा संख्या 1315/996 रकबा 3 बीघा मे पश्चिम दिशा की ओर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का हिस्सा 5/6, रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का हिस्सा 1/6 को नजरी नक्शे मे लाल रंग से डॉट–डॉट लाईन के अनुसार तथा खसरा संख्या 1300/986/1 रकबा 1 बीघा 1315/996/1 रकबा 1 बीघा मे पूर्व की ओर अपीलांट प्रभू आत्मज रामदेव जिसे नजरी नक्शे मे हरे रंग की लाईनो से प्रदर्शित किया गया है, के अनुसार बंटवारा किये जाने के आदेश दिये जाने एवं प्रतिवादी/अपीलांट को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का आदेश प्रदान किये जाने की निर्णय व डिक्री जैर अपील पारित किये जाने मे त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने रेवेन्यु कोर्ट मेन्युअल भाग–2 के नियम 18 से 21 की प्रकिया का पालन किये बिना ही तहसीलदार द्वारा प्रेषित रिपोर्ट पर अन्तिम डिक्री पारित की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री जैर अपील कानूनी त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। विभाजन प्रस्ताव तैयार किये जाने से पूर्व संबंधित तहसीलदार को सभी खातेदारान को सूचना देना और उनकी उपस्थिति मे मौके, कब्जे व हिस्से की स्थिति एवं अच्छी से अच्छी तथा खराब से खराब भूमि के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होता है, किन्तु उक्त विभाजन प्रस्ताव से पूर्व अपीलांट को तहसीलदार द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई और न ही उक्त विभाजन अपीलांट की उपस्थिति मे तैयार किया गया बल्कि उक्त विभाजन प्रस्ताव तो पटवारी हल्का ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 से मिलीभगत कर मौके व

कब्जे की स्थिति के तथा अच्छी से अच्दी व खराब से खराब भूमि के विपरीत रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के कहे अनुसार तैया किया गया, जो पूर्णतया गलत व गैर कानूनी है और उक्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर पारित निर्णय एवं डिक्री जैर अपील अवैधानिक होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के नियमो की अवहेलना करते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को रोड की खसरा नम्बर 1300/986 रकबा 3 बीघा व खसरा संख्या 1315/996 रकबा 3 बीघा मे से पश्चिम दिशा की ओर हिस्सा 5/6, रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लक्ष्मण हिस्सा 1/6 जो नजरी नक्शे मे लाल रंग से डॉट–डॉट लाइन के अनुसार तथा उक्त भूमि मे से तथा उक्त भूमि के बाद पीछे की ओर की भूमि आराजी संख्या 1300/986/1 रकबा 1 बीघा एवं खसरा संख्या 1315/996/1 रकबा 1 बीघा मे पूर्व की ओर अपीलांट को जो नजरी नक्शे मे हरे रंग की लाइन से प्रदर्शित किया गया है, का डिक्री पर्चा जारी करने की निर्णय व डिक्री पारित करने मे कानूनी त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री कानूनन प्रत्येक सहखातेदार को अच्छी से अच्छी तथा खराब से खराब भूमि दिये जाने के सिद्धान्त के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रेषित सम्मन न तो अपीलांट को कभी प्राप्त हुआ और न ही अपीलांट ने सम्मन लेने से कभी इंकार किया। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सम्मन की तामील मानते हुए अनुपस्थिति दर्ज कर दिनांक 10.01.2019 को अपीलांट के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए निर्णय एवं डिक्री जेर अपील पारित करने मे कानूनी त्रुटि की है, जो निरस्तनीय है। वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजात को साक्ष्य से साबित नहीं किया गया था। प्रतिवादी संख्या 1 अपीलांट को भी शहादत प्रस्तुत करने का समुचित मौका नहीं दिया गया था। अधीनस्थ न्यायालय ने दस्तावेजात साबित हुये बिना ही अप्रमाणित दस्तावेजात के आधार पर दावा वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 बिना किसी शहादत के सर्वथा गैर कानूनी रूप से मनमाने तौर पर डिक्री फरमाने मे त्रुटि की है , जो निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने सिविल प्रकिया की अवहेलना करते हुए बिना तनकी बनाये मनमर्जी से निर्णय व डिक्री जैर अपील पारित की है, जो पूर्णतया गलत, गैरकानूनी, अवैधानिक होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अन्त मे अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 03.08.2021 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

7. अधिवक्ता रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 व 2 ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि वादीगण रेस्पोडेन्टगण सख्या 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत बंटवारे व स्थाई निशेधाज्ञा का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को

जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश प्रदान किये गए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारान के मध्य हिस्से व मौके पर कब्जे अनुसार विभाजन किये जाने की प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की। प्राथमिक निर्णय व डिक्री की पालना मे तहसीलदार नैनवां से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्राथमिक निर्णय व डिक्री के अनुसार होने से स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा विवादित आराजीयात के विभाजन की दिनांक 03.08.2021 को अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की गई। अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 03.08.2021 उभय पक्षकारान के राजस्व रेकॉर्ड मे दर्ज हिस्से अनुसार होने से विधि सम्मत है। अपनी बहस के समर्थन मे अधिवक्ता अपीलांट ने न्यायिक दृष्टांत डी.एन.जे. 2013(3) (राज.) पेज 1321, डी.एन.जे. 2012(2) (राज.) पेज 1082, डी.एन.जे. 2012(2) (राज.) पेज 781 प्रस्तुत किया। अन्त मे अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 03.08.2021 को यथावत रखे जाने की प्रार्थना की।

8. हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 10.01.2019 को प्रतिवादी अपीलांट के विरूद्ध बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने के कारण एकतरफा कार्यवाही की गई। पत्रावली मे संलग्न सम्मन पर पीछे एक अंगूठा निशानी है जिसके सामने नि. प्रभुलाल अंकित है। प्रथम दृष्ट्या प्रतीत होता है कि सम्मन तामील हो गया था। परन्तु इस प्रकरण मे अधिवक्ता अपीलांट का मुख्य तर्क रहा है कि उन्हें प्राथमिक डिक्री से आपत्ति नहीं है क्योंकि जमाबंदी मे दर्ज हिस्से अनुसार ही भूमि के हिस्से होते है, परन्तु अंतिम डिक्री के संबंध मे न तो बंटवारे की सूचना अपीलांट को दी गई तथा न ही अपीलांट की उपस्थिति मे मौका रिपोर्ट तैयार की गई। मौका रिपोर्ट तहसीलदार स्तर से तैयार नहीं की गई तथा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई। पत्रावली मे संलग्न पत्र दिनांक 20.11.2019 उपखण्ड अधिकारी नैनवां द्वारा तहसीलदार नैनवां को प्राथमिक डिक्री की पालना हेतु प्रेषित किया गया। इस पत्र की पालना मे तहसीलदार नैनवां द्वारा तैयार प्राथमिक बंटवारा उपखण्ड अधिकारी नैनवां को प्रेषित किया गया। उपखण्ड अधिकारी नैनवां ने अपने पत्र दिनांक 06.10.2020 द्वारा तहसीलदार नैनवां को पत्र प्रेषित किया कि प्रासंगिक पत्र से भेजी गई बंटवारा रिपोर्ट पटवारी की रिपोर्ट ही संलग्न कर प्रेषित कर दी गई है। अतः विधिवत निर्देशानुसार रिपोर्ट पेश करने का पत्र प्रेषित किया गया। पुनः उपखण्ड

अधिकारी नैनवां ने दिनांक 10.03.2021 को पुनः तहसीलदार नैनवां को पूर्व प्रेषित पत्र दिनांक 06.10.2020 का हवाला देकर पत्र प्रेषित किया गया। पुनः एक पत्र उपखण्ड अधिकारी नैनवां ने दिनांक 12.04.2021 को तहसीलदार नैनवां को प्रेषित किया, जिसमे उपखण्ड अधिकारी नैनवां द्वारा प्रेषित पूर्व पत्र दिनांक 10.03.2021 का भी हवाला दिया गया। तहसीलदार नैनवां को प्रेषित पत्र दिनांक 10.03.2021 के नीचे ही तहसीलदार नैनवां(भू0अभि0) ने यह पत्र आक्षेपपूर्ति कर प्रेषित करना अंकित कर दिया। पत्रावली मे संलग्न उपखण्ड अधिकारी नैनवां के पत्र दिनांक 06.10.2020 को ही आगे दिनांक 19.10.2020 को प्रेषित किया गया तथा पत्र मूल ही भू0अभि0 निरीक्षक वृत रजलावता को प्रेषित कर निर्देश दिए गए कि वह आक्षेप पूर्ति कर प्रस्तुत करे। तहसीलदार के इस पत्र दिनांक 19.10.2020 के जवाब मे भू–अभिलेख निरीक्षक रजलावता ने जवाब दिया तथा जिसका अंश इस प्रकार है " पटवारी व भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर आपके स्वयं के हस्ताक्षर से बंटवारा रिपोर्ट तैयार कर दो–दो प्रतियों मे प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया है। इसलिए कार्यालय से वांछित पूर्ति करना शेष है।" इससे स्पष्ट है कि भू–अभिलेख निरीक्षक के कहने का तात्पर्य यह था कि विधि अनुसार तहसीदलार स्तर से कार्यवाही की जानी है। तहसीलदार (भू–अभिलेख) नैनवां ने पूर्व मे भू–अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का द्वारा प्रेषित रिपोर्ट दिनांक 10.07.2020 पर ही हस्ताक्षर कर दिए तथा उपखण्ड अधिकारी नैनवां को प्रेषित कर दिया तथा इस पूर्व की रिपोर्ट पर किए गए हस्ताक्षर के आधार पर उपखण्ड अधिकारी नैनवां द्वारा निर्णय दिनांक 03.08.2021 पारित कर दिया गया। हमारे मत मे उपखण्ड अधिकारी नैनवां द्वारा पूर्व मे इस रिपोर्ट दिनांक 10.07.2020 को इसलिए प्रतिप्रेषित किय गया था क्योंकि न तो यह तहसीलदार द्वारा तैयार की गई तथा न ही इस पूर्व की रिपोर्ट पर तहसीलदार नैनवां के हस्ताक्षर थे। उपखण्ड अधिकारी नैनवां ने एक प्रकार से पुनः विधि अनुसार रिपोर्ट प्रेषित करने हेतु इस रिपोर्ट को वापस तहसीलदार को भेजा था। परन्तु तहसीलदार नैनवां द्वारा पूर्व मे भू–अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी के स्तर से तैयार रिपोर्ट दिनांक 10.07.2020 पर केवल मात्र हस्ताक्षर अंकित कर दिए। इससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि तहसीलदार नैनवां मौके पर गए या नहीं ? संभवतः उसी पुरानी रिपोर्ट दिनांक 10.07.2020 पर ही हस्ताक्षर कर प्रेषित कर दी गई तथा तहसीलदार द्वारा स्वयं मौके पर नहीं जाना प्रतीत होता है। जबकि नियमानुसार स्वयं तहसीलदार को मौके पर जाकर तहसीलदार के निर्देशन मे रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिए। जिस पुरानी रिपोर्ट दिनांक 10.07.2020 पर तहसीलदार ने हस्ताक्षर किए वह स्वयं तहसीलदार नैनवां को ही सम्बोधित है। प्राथमिक डिकी के आधार पर अंतिम डिकी से पूर्व बंटवारा प्रस्ताव बनाते समय अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 को भी कोई सूचना नहीं दी गई। ऐसी स्थिति मे राजस्थान काश्तकारी(राजस्व मण्डल) नियम 18

से 21 की पालना नहीं की गई है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 03.08.2021 को निरस्त कर प्रकरण अधनीस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

9. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांटगण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवां जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 146/2018 मे पारित अंतिम निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.08.2021 निरस्त किये जाते है। प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि राजस्थान काश्तकारी(राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21 की पालना करते हुए , नवीन सिरे से विधिक प्रावधानों के अनुसार निर्णय पारित करे। उभय पक्षकारान अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे सुनवाई हेतु दिनांक 27.07.2023 को उपस्थित रहे।

10. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

11. निर्णय आज दिनांक 23.06.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा